



राजस्थान सरकार  
न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) रेवदर, जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी – रामजीभाई कलबी (RAS)

राजस्व प्रा. पत्र संख्या- 8/19

प्रार्थी :- टीलाराम पुत्र नथाजी जाति पुरोहित निवासी-भटाणा

श्री महेन्द्र सिंह राव –अधिवक्ता

बनाम

ऑबू देवी पत्नी वेलाराम जाति कुम्हार व अन्य निवासी- भटाणा

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते रास्ता देने के संबंध में

दिनांक:-13/01/2021

निर्णय :-

उपरोक्त अनवान अन्तर्गत जारये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध ऑबू देवी पत्नी वेलाराम जाति कुम्हार व अन्य बाबत खातेदारी कृषि भूमि में वैकल्पिक रास्ता दिलाने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 21.05.2019 को पेश किया। जिसका संक्षेप में तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे करता की कृषि भूमि ग्राम भटाणा पटवार हल्का भटाणा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही में खसरा संख्या 1674 रकबा 4.16 बीघा आई हुई है। जिसमें काश्तकार अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1674 भूमि में आने-जाने के लिए तथा मवेशी, बैलगाड़ी आदि के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा पूर्व में खसरा संख्या 1645,1646/1927 व 1659,1660(सरकारी) में स्थित रास्ते से आते-जाते थे, जो वर्तमान में खातेदार द्वारा बंद कर दिया गया है, से 20 फिट चौड़ा रास्ता चाहा गया है

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से प्रथम दृष्टया सहमत होकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया एवं तहसीलदार रेवदर से जांच रिपोर्ट मांगी गई। जो दिनांक 06.01.2020 प्राप्त हुई जिसे सामिल मिसल किया गया।

दिनांक 21.08.2019 को पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के नोटिस नहीं लेने की टिप्पणी के साथ पेश जिसे तामिल माना जाकर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश किए गए।

तहसीलदार रेवदर से प्राप्त जवाब अनुसार खसरा नम्बर 1645, 1646/1927,1659,1660 रकबा कमश 3.11, 9.00, 2.02 व 7.14 बीघा में से प्रार्थी को अपनी आराजी तक आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता है। यह रास्ता जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है, प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता भटाणा से पावटी जाने वाले ग्रेवल सड़क से जुड़ने वाला निकटतम रास्ता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा इस पर प्राप्त जवाब को मध्य नजर रखते हुए बहस उभय पक्ष सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत बहस तमाम् मिसल का गहन अध्ययन करने पर पाया कि राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(A) तहत विधिक प्रावधानों का अवलोकन करना उचित होगा-, "अन्य खातेदारी की जोत में से नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना- 1. जहां (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, जोत में से नया मार्ग खोलने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करना चाहता है। और मामला पारस्परिक सहमति से तय किया जाता है

2021/01/30 11:02



तो ऐसा अभिधारी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि—

3. यह आवश्यकता उत्पन्न आवश्यकता है। और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और
4. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है”

यद्यपि खसरा नम्बर 1659 व 1660 बिलानाम(मगरी) भूमि है अतः इस क्रम में बिलानाम सरकारी भूमि में रास्ता हेतु राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक/प.3(53)राज16/12/4 जयपुर, दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि कोई खातेदारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदारी को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। ऐसी स्थिति में निर्धारित डी.एल.सी. द्वारा की दुगुनी राशि प्रतिकर के रूप में ली जाकर रास्ता प्रदत्त किया जा सकता है, ऐसा मार्ग 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा तथा ऐसी भूमि का उपयोग सार्वजनिक होगा। तहसीलदार रेवदर की जांच रिपोर्ट में आवेदक को जोत पर जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता होने तथा चाहा गया रास्ता के निर्विवाद का भी उल्लेख है।

अतः उपर्युक्त विवचन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रेवदर को मौजा— भटाणा, पटवार हल्का— भटाणा, के खसरा नम्बर 1645, 1646/1927,1659,1660 रकबा क्रमश 3.11, 9.00 बीघा(खातेदार भूमि) 2.02 व 7.14 बीघा (राजकीय बिलानाम भूमि) में से संलग्न प्रस्ताव अनुसार 1645/1 में से 0.06 1646/2 में से 0.06, 1659/1 में से 0.10 एवं 1660/1 में से 0.19 कुल 2.01 रकबा रास्ते के लिए दिया जाना उचित है। वर्तमान निर्धारित डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करावें एवं प्रार्थीगणों द्वारा जमा की गई राशि का भुगतान उपरोक्त खसरा के समस्त खातेदारों को उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान करें तथा यदि खडे, वृक्ष, फसल या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि होती है तो वास्तविक हानि की रकम भी अवधारित की जाकर वसूल कर राजकोष में जमा कराने हेतु आदेश दिया जाता है।

आज दिनांक 13.01.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

96  
22.01.2021

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ -  
1 तहसीलदार, रेवदर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
रेवदर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

1/01/30 11:02